भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *29
जिसका उत्तर शुक्रवार, 3 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

कॉलेजियम प्रणाली में सुधार

***29. प्रो. सौगत राय :**

श्री दीपक बैज :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल के दिनों में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्तावों को वापस कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में व्यक्त किए गए विचार क्या हैं ;

(ख) उक्त न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मुद्दे को हल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) क्या मौजूदा कॉलेजियम प्रणाली के कार्यकरण पर कोई चिंता / आपत्ति जताई गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी समिति में केंद्र और राज्यों के प्रतिनिधियों को नियुक्त करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उस पर राज्यों और उच्चतम न्यायालय की प्रतिक्रिया क्या है और उक्त पहल को समर्थन देने वाले राज्यों के नाम क्या हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ङ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

"कॉलेजियम प्रणाली में सुधार" से संबंधित लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *29 जिसका उत्तर 03.02.2023 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

(क) से (ङ): हाल ही में 18 प्रस्तावों पर उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा पुनर्विचार की मांग की गई थी। इन प्रस्तावों की परीक्षा करते हुए एससीसी ने 06 मामलों को दोहराने का विनिश्चय किया, 07 मामलों में एससीसी ने उच्च न्यायालयों के कॉलेजियम से अद्यतन इनपुट मांगे हैं और 05 मामलों को उच्च न्यायालयों को भेजने का विनिश्चय किया है ।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 224 तथा उच्चतम न्यायालय के 6 अक्टूबर, 1993 (दूसरा न्यायाधीश मामला) के साथ पठित 28 अक्टूबर, 1998 (तीसरा न्यायाधीश मामला) की उनकी सलाहकारी

राय के निर्णय के अनुसरण में 1998 में तैयार किए गए प्रक्रिया ज्ञापन में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है । उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए विद्यमान प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा रिक्ति होने के छह माह पूर्व किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की रिक्तियों को भरने के लिए प्रस्ताव का आरंभ किया जाना अपेक्षित है ।

वर्ष 2021 में उच्चतम न्यायालय में 09 और उच्च न्यायालयों में 120 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है और वर्ष 2022 में उच्चतम न्यायालय में 03 और उच्च न्यायालयों में 165 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गयी है । 01.02.2023 तक 34 न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या में से, उच्चतम न्यायालय में 27 न्यायाधीश कार्यरत हैं और हाल ही में उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम से 07 रिक्तियों की सिफारिशें ग्रहण की गई हैं । उच्च न्यायालयों में 1108 न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या में से 775 न्यायाधीश कार्यरत हैं तथा 333 न्यायाधीशों के पद रिक्त हैं । इन रिक्तियों में से उच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा सिफारिश किए गए 142 प्रस्ताव प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर हैं और उच्च न्यायालयों में 191 रिक्तियों की सिफारिशें उच्च न्यायालय कॉलेजियम से प्राप्त की जानी हैं।

उच्च न्यायालयों में रिक्तियों का भरा जाना कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत्, एकीकृत और समन्वयकारी प्रक्रिया है । राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों से परामर्श और अनुमोदन अपेक्षित है । जबकि विद्यमान रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियां, सेवानिवृत्ति, पदत्याग और न्यायाधीशों की पदोन्नति के कारण हो रही हैं और न्यायाधीशों की पद संख्या में वृद्धि भी एक कारण हैं।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली को अधिक व्यापक, पारदर्शी, जवाबदेह नियुक्ति तंत्र के साथ बदलने और प्रणाली में अधिक वस्तुनिष्ठता से लाने के लिए, तारीख 13.04.2015 से सरकार संविधान का (निन्यानवां संशोधन) अधिनियम, 2014 को और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014 प्रभाव में लाई थी । हालाँकि, दोनों अधिनियमों को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी । उच्चतम न्यायालय ने तारीख 16.10.2015 के निर्णय द्वारा दोनों अधिनियमों को असंवैधानिक और शून्य घोषित किया है । संविधान (निन्यानवां संशोधन) अधिनियम, 2014 के प्रवर्तन से पूर्व यथा विद्यमान कॉलेजियम प्रणाली को प्रवर्तनशील घोषित किया गया था ।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने एनजेएसी मामले में रिट याचिका (सी) 2015 का 13 की सुनवाई करते हुए प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) के अनुपूरक पर 16-12-2015 को विस्तृत आदेश जारी किया जिसमें यह कहा गया था कि भारत सरकार भारत के मुख्य न्यायामूर्ति के परामर्श से इसे अनुपूरक करके प्रक्रिया ज्ञापन को अंतिम रूप दें । भारत के मुख्य न्यायामूर्ति उच्चतम न्यायालय के चार सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों वाले कॉलेजियम के सर्वसम्मत दृष्टिकोण के आधार पर विनिश्चय लेंगे । आदेश में कहा गया है कि वे निम्नलिखित कारकों पर विचार करेंगे जैसे कि पात्रता मानदंड, नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता, सचिवालय, शिकायत तंत्र और प्रकीर्ण मामले जिन्हें पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त माना जाता है, जिसमें नियुक्ति की गोपनीयता, बिना त्याग के उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम की सिफारिश करने वालों के साथ बातचीत सम्मिलित है ।

उपरोक्त आदेशों के अनुसरण में, भारत सरकार ने सम्यक परिश्रम के पश्चात 22.3.2016 को भारत के माननीय मुख्य न्यायामूर्ति को पुनरीक्षित एमओपी भेजा, पुनरीक्षित प्रारूप एमओपी पर उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम की प्रतिक्रिया 25.05.2016 और 01.07.2016 को प्राप्त हुई ।

उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के विचारों के प्रतिउत्तर में सरकार के दृष्टिकोण को 03.08.2016 को भारत के मुख्य न्यायामूर्ति को अवगत कराया गया था । प्रारूप एमओपी पर सरकार के विचारों पर एससीसी की टिप्पणियां 13.03.2017 को प्राप्त हुई।

तत्पश्चात्, उच्चतम न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के विरुद्ध स्वत: अवमानना कार्यवाही में तारीख 04.07.2017 के निर्णय में उच्च न्यायालय न्यायाधीश के रूप मे उन्नयन के लिए उनके नाम की सिफारिश के समय अवमाननाकर्ता के व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए एक उपयुक्त प्रक्रिया प्रदान नहीं करने की प्रणाली की विफलता को सामने लाया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ संवैधानिक न्यायालयों में न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया पर फिर से विचार करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला । सुसंगत बिंदुओं पर सरकार के दृष्टिकोण को तारीख 11.07.2017 के पत्र द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय को सूचित किया गया था ।

उच्चतम न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने आपराधिक अपील संख्या 2018 की 470 में तारीख 28.03.2018 के अपने निर्णय के द्वारा प्रणाली में कमियों को उजागर किया और संवैधानिक न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया ।

अन्य मामले में, मैसर्स/पीएलआर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम महानदी कोलफील्ड लिमिटेड और अन्य [स्थानांतरण याचिका (सिविल) संख्या: 2019 की 2419] से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले के संबंध में, उच्चतम न्यायालय के तीन-न्यायाधीशों की खंडपीठ के तारीख 20.04.2021 के आदेश द्वारा सरकार ने उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव की प्रक्रिया में लगने वाले समय के संबंध में अतिरिक्त समय-सीमा निर्धारित की है। यद्यपि, ये समय-सीमा अभी प्रक्रिया ज्ञापन का हिस्सा नहीं हैं ।

उच्चतम न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 224क के अधीन उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले पर अन्य मामला रिट याचिका संख्या (सिविल) 2019 का 1236 की सुनवाई करते हुए, तारीख 20.04.2021 के अपने निर्णय द्वारा उनकी नियुक्ति के लिए नए मानक अभिकथित किए हैं । विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात्, सरकार ने विद्यमान प्रक्रिया ज्ञापन के अनुपूरक पैरा 24 के लिए तारीख 18.08.2021 को भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, जो अनुच्छेद 224क के अधीन उच्च न्यायालयों की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उपबंध करते हैं । यह मामला अभी उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है ।

एनजीएसी मामले में 2015 की रिट याचिका (सि.) सं. 13 में तारीख 16 दिसंबर, 2015 के उच्चतम न्यायालय के आदेश में नियत मानदंड पर एमओपी के अनुपूरण में प्रस्ताव भेजते हुए सरकार ने सुझाव दिए हैं, जिसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के स्तर पर स्क्रीनिंग-सह-मूल्यांकन समिति की क्रमश: उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कोलेजियम की सहायता करने के लिए आवश्यकता सम्मिलित है । यह प्रस्ताव किया गया था कि समितियां भावी अभ्यर्थियों की उपयुक्तता पर सुसंगत सामग्री की स्क्रीनिंग और मूल्यांकन कर सकेंगी और एक सुकरकर्ता के रूप में कार्य करेंगी । सिफारिश करने के विनिश्चय का उपयोग उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के संबंधित कॉलेजियमों द्वारा किया जाएगा । यद्यपि, उच्चतम न्यायालय ऐसी समितियों को स्थापित करने पर सहमत नहीं हुआ था ।

भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, को तारीख 06.01.2023 के अपने हाल ही की संसूचना में सरकार ने विभिन्न न्यायिक उदघोषणा को मद्देनजर रखते हुए एमओपी को अंतिम रूप देने की आवश्यकता पर बल दिया और अन्य बातों के साथ, सुझाव दिया कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की और उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायमूर्तियों की नियुक्ति के संबंध में खोजबीन-सह-मूल्यांकन समिति भारत सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधियों से मिलकर बननी चाहिए । उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए समिति भारत सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए गए प्रतिनिधियों और मुख्यमंत्री (मुख्यमंत्रियों) द्वारा नामनिर्दिष्ट किए गए उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के अधीन राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों से मिलकर बननी चाहिए । विद्यमान, एमओपी परिकल्पना करता है कि यदि मुख्यमंत्री किसी व्यक्ति के नाम की सिफारिश करने की वांछा करता है तो उस पर विचार करने के लिए उसे अग्रेषित करना चाहिए । यद्यपि, इसे अमली जामा नहीं पहनाया गया है, मुख्यमंत्री द्वारा सिफारिश किए गए नामों को कॉलेजियम से बाहर के ज्येष्ठ न्यायाधीशों से लिए गए नामों के साथ और प्रस्तावित सचिवालय द्वारा रखे गए डाटाबेस (न्यायिक अधिकारी और अधिवक्ता) को खोजबीन-सह-चयन समिति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है । उच्च न्यायालय का कॉलेजियम उक्त समिति द्वारा सुझाए गए नामों के पैनल पर चर्चा कर सकता है और अत्यधिक उपयुक्त अभ्यर्थियों के नाम की उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और न्यायाधीशों के लिए सिफारिश कर सकता है । उपयुक्त स्तर पर कॉलेजियम पूर्व वर्णित स्रोतों से पात्र अभ्यर्थियों का पैनल बनाने के लिए पूर्वोक्त आवश्यकताओं पर ध्यान दे सकता है तथा अपेक्षित कारण दर्शाते हुए कार्यवाही कर सकता है और तत्पश्चात् प्रस्ताव को सुसंगत दस्तावेजों के साथ सरकार को भेज सकता है । उक्त समितियों को पात्र अभ्यर्थियों का पैनल तैयार करने का कार्य सौंपा जाएगा, जिसमें से संबंधित कॉलेजियम अपनी सिफारिश करेगा ।

****